राजस्थान सरकार
:: राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ::

क्रमांक राम/निरी/विविध/98–99/प.12(18)688–970 दिनांक 16.2.99

1. समस्त जिलाधीश
2. समस्त अतिरिक्त जिलाधीश
3. समस्त राजस्व अपील अधिकारी
4. समस्त भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी
5. समस्त उपखण्ड अधिकारी
6. समस्त सहायक जिलाधीश

परिपत्र

प्रायः यह देखने मे आया है कि विभिन्न स्तरों पर राजस्व अधिकारियों के न्यायालयों मे विचाराधीन मुकदमों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वर्ष भर मे जितने वाद दायर होते है, उतने वाद भी वर्ष भर मे अधिकांश राजस्व अधिकारियों के द्वारा निर्णित नहीं किये जाते, जिसके कारण राजस्व वादों की पैण्डेन्सी निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। कुछ वाद तो काफी वर्षो से लंबित ही चलते आ रहे है। राज्य मे लंबित राजस्व वादों की समीक्षा करने पर पाया गया कि वर्तमान मे राजस्थान मे विभिन्न राजस्व न्यायालयों मे लगभग 2,70,000 मुकदमें लंबित चल रहे है तथा इनमें निरन्तर वृद्धि ही हो रही है। राजस्व वादों की बढ़ती हुई संख्या को राज्य सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है तथा राजस्व वादों की त्वरित गति से निष्पादित करने के निर्देश दिये जाते है।

अतः राजस्व वादो को त्वरित गति से निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

(1) समस्त राजस्व अपील अधिकारीगण, उपखण्ड अधिकारीगण एवं सहायक जिला कलेक्टर्स अपने कार्य क्षेत्र मे स्थित तहसील स्तर तथा उप तहसीलों मे कैम्प कोर्ट्स करे तथा उस क्षेत्र के राजस्व वादों का निस्तारण कैम्प कोर्ट्स में करने की प्रक्रिया पूर्व में कोर्ट–केम्पस के दिन निश्चित कर प्रारम्भ करें।

(2) इन कैम्प कोर्ट्स मे उस क्षेत्र के एक ही प्रकृति के मुकदमों को छांट कर, उनकी तिथियां कोर्ट कैम्प मे निश्चित की जावे, ताकि वादों का निस्तारण त्वरित गति से संभव हो। एडवोकेट्स की आवश्यकतानुसार सहमति ली जावे।

(3) कैम्प कोर्ट्स मे ऐसे मुकदमों को आवश्यक रूप से रखा जावे, जिनमें कि पक्षकारों की आपसी सहमति हो तथा राजीनामे के आधार पर मौके पर ही इस प्रकार के समस्त प्रकरण कैम्पों मे ही निस्तारित किये जा सके। आपसी सहमति से विभाजन के राजस्व वाद तथा पारिवारिक समझौतों से निष्पादित होने वाले राजस्व वादों को कैम्प कोर्ट्स मे रखा जावे तथा वहां मौके पर ही बयान आदि लिये जाकर, उनका निस्तारण किया जा सके। इस प्रकार आपसी सहमति से

निर्णीत होने वाले अन्य प्रकार के प्रकरणों को भी चिन्हित करे तथा उन्हें भी कैम्प कोर्ट्स मे निस्तारण हेतु रखे।

(4) प्रायः यह देखा गया है कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र भी वर्षों तक उपखण्ड अधिकारियों एवं सहायक जिला कलेक्टर्स के न्यायालयों मे विचाराधीन चलते रहते हे, जो कि किसी भी स्थिति मे उचित नहीं है। अतः धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 6 माह की अवधि में अनिवार्य रूप से कर दिया जाना चाहिए। यदि राजस्व मण्डल के माननीय सदस्यगण, संभागीय आयुक्तगण एवं जिला कलक्टर्स के निरीक्षण के समय धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र 6 माह से अधिक की अवधि के लंबित पाये गये तो संबंधित राजस्व अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।

(5) लंबित राजस्व वादों का त्वरित गति से निस्तारण करने के लिये यह आवश्यक है कि सभी राजस्व अधिकारी, विशेष रूप से उप खण्ड अधिकारीगण प्रति सप्ताह सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय पर रहकर कोर्ट करें एवं वादों की सुनवाई करें। अत्यन्त आवयक परिस्थितियों मे ही इन दिनों मे उपखण्ड अधिकारीगण मुख्यालय के बाहर जावें। अन्य राजस्व अधिकारीगण तो सभी सप्ताह के समस्त दिनों मे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्यायालय का कार्य दिलचस्पी लेकर करें।

(6) राजस्व वादों के बहुत अधिक लम्बी अवधि तक लंबित रहने का एक मुख्य कारण यह है कि तलबी मे ही काफी समय तक प्रकरण चलते रहते है तथा कभी अभिभाषकगण नोटिसेज प्रस्तुत नहीं करते और यदि अभिभाषकगण नोटिसेज प्रस्तुत कर भी देते है तो कार्यालय द्वारा नोटिसेज को तामील हेतु नहीं भेजा जाता है जिससे अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अभिभाषकगण निर्धारित तिथि तक तामीली नोटिस न्यायालय मे प्रस्तुत करें तथा न्यायालय द्वारा उन्हें आगामी निर्धारित तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से तामील हेतु भिजवा दिये जावें।

(7) नोटिसेज की तामील नहीं होना भी मुकदमों के लंबित रहने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। समय पर नोटिस जारी नहीं होने, तहसीलों द्वारा समय पर नोटिसेज तामील नहीं कराने एवं निर्धारित तिथि निकल जाने तक नोटिस वापस नहीं आने के कारण अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः जिला कलेक्टर्स समस्त तहसीलदारों को पाबन्द करें कि वे अदालतों से प्राप्त नोटिसेज की न केवल निर्धारित तिथि से पूर्व तामील करावें, बल्कि उन्हें तामील करवाकर आगामी निश्चित तिथि से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय मे अनिवार्य रूप से भिजवा देवे ताकि सम्बन्धित न्यायालय को दुबारा नोटिस जारी नहीं करने पड़े।

(8) निरीक्षण के समय यह भी तथ्य सामने आये है कि नियमित वादों मे स्थगन मिल जाने के बाद अभिभाषकगण के आग्रह पर तथा कभी न्यायालय द्वारा तिथियां बदल दी जाती है। इस बिन्दु पर भी पीठासीन अधिकारियों को ध्यान देना चाहिये, तथा इस प्रकार की प्रवृत्ति पर भी रोक लगायी जानी चाहिये।

(9) राजस्व मण्डल की यह अपेक्षा है कि समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिला कलेक्टर्स अपने क्षेत्राधिकार में कम से कम पांच ऐसे आदर्श गांवों की योजना बनावें, जो कि राजस्व वादों से मुक्त हों तथा वहां कोई भी राजस्व वाद

न्यायालय मे नहीं रहे। यह तभी संभव है जब इन गांवो के सभी लम्बित प्रकरणों का मौके पर ही निष्पादन किया जावें तथा इन चिह्नित गांवों मे ग्राम सभायें की जाकर, लोगों को वाद रहित आदर्श गांव स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जावे।

अतः समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त आदशों की पालना सुनिश्चित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य मे निर्धारित मापदण्डों से कम प्रकरणों का निस्तारण होने पर इस संबंध मे संबंधित अधिकारीगण के वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन मे अंकन किया जावेगा।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर